न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप

पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 167 / 2021
राजस्व वाद :– अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वादिनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शांति पत्नि बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला जोधपुर		1. मोहनराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तह. बाप जिला जोधपुर 2. तहसीलदार बाप

उपस्थित :–
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादिनी की तरफ से
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से
3. प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :– 21.10.2022

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि मूल खसरा नम्बर 819 रकबा 42.08 बीघा ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 819 कुल रकबा 42.08 बीघा में से 38.08 बीघा वादिनी ने खरीद की है और उक्त खरीद के आधार पर वादिनी का खाता जमाबंदी में अलग कायम कर दिया गया। वादिनी के खसरा नम्बर 819 रकबा 38.08 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या के खसरा नम्बर 819 / 1 रकबा 4.00 बीघा है। जमाबंदी सम्वत 2072–2075 व नक्शा ट्रेश संलग्न वाद पेश है। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि का आपसी सहमति का बंटवाड़ा पूर्व में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कर दिया था और मौके पर वादिनी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार काबिज व काश्त है और वादिनी ने अपने हिस्से की भूमि में रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा नलकूप खुदवा कर कृषि बिजली कनेक्शन ले रखा है और वादिनी ने अपने हिस्से की संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर खूंटे रोप कर तारबंदी भी कर रखी है। लेकिन वर्तमान में हल्का पटवारी द्वारा सेग्रीगेशन योजना के तहत वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त के विपरित तरमीम कर दी है जो तरमीम सरासर गलत है इसलिये वादिनी ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर के मूल खसरा नम्बर 419 कुल रकबा 42.08 बीघा भूमि में वर्तमान में सेग्रीगेशन योजना के तहत वादिनी के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर अपने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के उपरोक्त हिस्से एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करवाने की अधिकारी [illegible] यह वाद पेश है। नजरी नक्शा वाद के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे [illegible] अभिन्न हिस्सा माना व समझा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब निम्नानुसार है –

सहायक कलक्टर बाप (जोधपुर)

ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के मूल खसरा नम्बर 819 रकबा 42.08 बीघा भूमि के वर्तमान नक्शा लट्ठा में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई उजर एतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है –

ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के मूल खसरा नम्बर 819 कुल रकबा 42.08 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से 38.08 बीघा भूमि वादिनी ने खरीद की है और खरीद के आधार पर वादिनी का खाता राजस्व अभिलेख में अलग कायम कर दिया। वर्तमान में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अलग–अलग दर्ज है वादिनी के नाम खसरा नम्बर 819 रकबा 38.08 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 819/1 रकबा 4.00 बीघा अनुसार है। वर्तमान सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा व काश्त के विपरित नक्शा लट्ठा में तरमीम कर दी गई। इसलिये मूल खसरा नम्बर 819 कुल रकबा 42.08 बीघा में वर्तमान नक्शा लट्ठा में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाकर वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा व काश्त अनुसर बंटवाड़ा करवाने के हकदार है। ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के मूल खसरा नम्बर 819 कुल रकबा 42.08 बीघा भूमि के वर्तमान नक्शा लट्ठा में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा व काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।

वकुलाय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 616 में वादिनी के नाम खसरा नम्बर 819 रकबा 38.08 बीघा व खाता संख्या 507 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 819/1 रकबा 4.00 बीघा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब पेश कर कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को दुरूस्त की जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने मे सहमति व्यक्त की है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकियात कायम करने की आवश्यता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार आंशिक डिक्री किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 819 रकबा 38.08 बीघा व खसरा नम्बर 819/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि के नक्शा लट्ठा में वादिनी के कब्जा काश्त के विपरित की तरमीम को निरस्त किया जाकर जवाब के संलग्न प्रस्तुत [illegible] किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। संलग्न [illegible] निर्णय [illegible] समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले [illegible]यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

21.10.2022
(मांगीलाल आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी मांगीलाल (आर.ए.एस.)

वादिनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शांति पत्नि बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला जोधपुर 2. तहसीलदार बाप		1. मोहनराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तह. बाप जिला जोधपुर

दावा धारा 53,188 आर.टी.एक्ट एवं 131,136 एल.आर.एक्ट

राजस्व वाद संख्या 167/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर कोई मोहम्मद रफीक उपस्थित मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 819 रकबा 38.08 बीघा व खसरा नम्बर 819/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि के नक्शा लट्ठा में वादिनी के कब्जा काश्त के विपरित की तरमीम को निरस्त किया जाकर जवाब के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 10 सन् 2022 जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

21.10.2022
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested